# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 211/2019

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1— अणदाराम पुत्र दानाराम<br>2— मूलाराम पुत्र दानाराम<br>3— ताजाराम पुत्र दानाराम<br>4— आशाराम पुत्र दानाराम<br>जातियान जाट निवासीगण<br>ग्राम पलीना तहसील लोहावट,<br>जिला जोधपुर | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार<br>लोहावट जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2019/कोर्ट/272 अनवान तहसीलदार लोहावट बनाम अणदाराम वगैरा मे दिनांक 31—5—2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1—श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

### निर्णय

दिनांक 4—12—2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार लोहावट की ओर से राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10—8—2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु पटवार मण्डल पलीना के राजस्व ग्राम पलीना के खसरा नंबर 281, 287, 279/1, 278, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 276, 276/1, 276/2, 276/3 मे से 9 बीघा भूमि मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रेषित किया गया । उक्त खसरा नंबरान मे से अपीलांटगण के खसरा नंबर 287 की 0.09 बीघा भूमि भी शामिल है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लोहावट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित खसरा नंबरान एवं उनके आगे अंकित रकबे की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 31—5—2019 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन करने के आदेश तहसीलदार लोहावट को पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा मे नही आता है क्योकि बिना सहमति के खातेदारो की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के खातेदारी के खेतो के टुकडे करते हुए रास्ते दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो अवैद्यानिक होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2019 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि पटवार मण्डल पलीना के राजस्व ग्राम पलीना के खसरा नंबर 281, 287, 279/1, 278, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 276, 276/1, 276/2, 276/3 मे से 9 बीघा की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष विधिवत दस्तावेजात के साथ प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2019 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रकिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार लोहावट ने ग्राम पलीना पटवार मण्डल पलीना के अपील मे वर्णित उक्त खसरा नंबरान 281, 287, 279/1, 278, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 276, 276/1, 276/2, 276/3 मे से निजी खातेदारो की भूमि मे चल रहे चालू रास्ते जो आवागमन के काम आ रहे है परंतु अभी तक खातेदारो की खातेदारी मे चली आ रही है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा प्रस्ताव के साथ मे खातेदारान के खातेदारी बाबत जमाबंदी की नकले, राजस्व नक्शा, प्रस्तावित रास्ते का रकबा आदि

सलंग्न प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे वर्णित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रार्थना पत्र को धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित अवश्य किया है परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कंम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2019 मे से अपीलांट की ग्राम पलीना स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 287 मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.08 बीघा भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर 287 मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 4–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर